

बीकानेर से दिल्ली के लिए इंडिगो की नियमित उड़ान शुरू



बीकानेर-दिल्ली नियमित उड़ान को केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने इंडिगो की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में यहां से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान की मांग लम्बे समय से थी। जिसे पूरा किया गया है। आने वाले समय में बीकानेर में नया और भव्य टर्मिनल विस्तार के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य कर लिया गया है। इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यहां भव्य टर्मिनल भवन बनाया जायेगा। यह भवन बीकानेर की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने वाला होगा।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने कहा कि बीकानेर समृद्ध संस्कृति और परंपराओं

को शहर है। यह पर्यटन और औद्योगिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय मंत्री मेघवाल के प्रयासों से यह शहर हवाई मार्ग से पूरे देश से जुड़ने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाल एयरपोर्ट विस्तार के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य कर लिया गया है। इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यहां भव्य टर्मिनल भवन बनाया जायेगा। यह भवन बीकानेर की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने वाला होगा।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने कहा कि बीकानेर समृद्ध संस्कृति और परंपराओं

नेतृत्व में गत 10 वर्षों में हवाई सेवाओं के विस्तार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आज हमारा देश डोमेस्टिक उड़ान के क्षेत्र में दुनियां में दूसरे नंबर पर है। 'उड़े देश का हर नागरिक' ध्येय के साथ उड़ान योजना शुरू की। इसके तहत डेढ़ करोड़ लोग देशभर में उड़ान पर रहे हैं। हाल ही के बजट में रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत 120 नए हवाई अड्डे विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से 4 करोड़ और लोगों को उड़ान से जोड़े जाने की योजना है।

मेघवाल ने लर्निंग बाय ड्रूंग संस्था द्वारा तैयार वायुयान का मॉडल

- बीकानेर के हवाई यात्रियों को दिल्ली जाने के बाद देश और दुनियां के किसी क्षेत्र में जाने की कनेक्टिविटी मिल सकेगी
- बीकानेर से कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, मुंबई और दक्षिण भारत के बड़े शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास होगा

डॉ. सुरेन्द्र वर्मा ने चार्ज संभाला

बीकानेर, (कासं)। पीबीएम हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्मा पीबीएम के 13 साल में 9 वें कार्यवाहक अधीक्षक होंगे।

चिकित्सा शिक्षा ग्रुप-1, विभाग के उपशासन सचिव शिवशंकर अग्रवाल के सहित हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक संघ का चौथे दिन जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। हड़ताल के समर्थन में प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों के आरटीओ, ए आरटीओ, डीटीओ और मंत्रालयिक कार्मिकों ने पेन डाउन हड़ताल कर परिवहन निरीक्षकों को हड़ताल को समर्थन दिया। वहीं अनेक सरकारी गैर सरकारी संगठनों ने भी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल को समर्थन दिया। आज प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में जहां वाहन पंजीयन, फिटनेस, परमिट, टेक्स और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण काम बिल्कुल बंद रहे। वहीं बीकानेर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में परमिट, वाहन ट्रांसफर, टेक्स और चालान शाखा की लंबी कत नहीं खुली। ड्राइविंग लाइसेंस शाखा में तो पिछले चार दिन से लाइसेंस रिन्यूअल, ड्रुप्टीकेट और परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े काम ठप पड़े हैं। आज अधिकारियों और कार्मिकों को पेन डाउन हड़ताल के कारण पूरी तरह परिसर में सन्नाटा छाया रहा। उधर हर माह सात तारीख को बसों का टेक्स भरने की अंतिम तारीख होती है। लेकिन उसके लिए भी कोई विंडो खुली नहीं दिखाई दी। बस ऑपरेटर टेक्स जमा करवाने के लिए भटकते रहे। इस प्रकार परिवहन निरीक्षकों के आंदोलन के कारण पिछले चार दिनों से परिवहन विभाग को करोड़ों रूपए राजस्व का उठाना पड़ रहा है। इधर यातायात अधिकारियों में एडवोकेट हरिराम जालप, ओमप्रकाश गोदार, पी. सी. पुनिया, बनवारी लाल सांगड, अमित शर्मा और गौरीशंकर साखला ने राज्य सरकार को प्रब लिखकर परिवहन निरीक्षकों की लगातार चल रही हड़ताल का जल्द समाधान निकालने का अनुरोध किया है। एडवोकेट हनुमान शर्मा के अनुसार हड़ताल से सरकार को राजस्व नुकसान के साथ- साथ आमजन को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। अतः परिवहन निरीक्षकों की जायज मांगों को मानकर पब्लिक हित में परिवहन निरीक्षकों के आंदोलन को समाप्त करवाने की मांग की।

डॉ. सुरेन्द्र वर्मा के चार्ज लेने पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. गुंजन सोनी, डॉ. अजय श्रीवास्तव, डॉ. संजीव बुरी, डॉ. नवल गुप्ता, डॉ. शिवशंकर शंकर, डॉ. विजय तुंदवाल, डॉ. मनोज माली, डॉ. बाबूलाल मीणा, डॉ. सुभाष गौड़, डॉ. गौतम लूणिया आदि ने उन्हें बधाई दी।

पिछले करीब 12-13 साल से अधीक्षक पद के लिए इंटरव्यू नहीं हुए हैं। सरकार ने पिछले साल दो बार आवेदन मांगे, लेकिन इंटरव्यू नहीं किए। बीकानेर से डॉ. वर्मा के अलावा डॉ. बी.एल. खरोटिया और डॉ. सोनाली धवन ने भी आवेदन रखा है। पीबीएम हॉस्पिटल में मरीजों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू होगी।

पिछले करीब 12-13 साल से अधीक्षक पद के लिए इंटरव्यू नहीं हुए हैं। सरकार ने पिछले साल दो बार आवेदन मांगे, लेकिन इंटरव्यू नहीं किए। बीकानेर से डॉ. वर्मा के अलावा डॉ. बी.एल. खरोटिया और डॉ. सोनाली धवन ने भी आवेदन रखा है। पीबीएम हॉस्पिटल में मरीजों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू होगी।

सिंचाई पानी नहीं मिलने से फसलें सूखने लगी, किसानों में रोष

बीकानेर, (कासं)। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर समेत कई जिलों में खड़ी गेहूँ, चना और सरसों की सफल मुरझाने लगी है। फसल मुरझाने देख किसानों के चेहरे पर गुस्सा बढ़ रहा है। गुस्से का इजहार भी शुरू हो गया। हेरानी इस बात की सरकार अभी तक किसानों के गुस्से को समझ नहीं रही। 2005 का घड़साना आंदोलन जिसने देखा वो किसानों के गुस्से की तासीर को समझ रहा है। जानकार कहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो केन्द्र सरकार से दुबाब डालकर एक बारी पानी ले सकती है।

परिचामी राजस्थान के किसानों के गुस्से को काबू करने और फसलों के साथ मुरझा रहे किसानों के चेहरों पर राहत की फुहार लाने की चाबी पंजाब के पास है। उसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा को पंजाब के सीएम से

- सरकार अभी तक किसानों के गुस्से को समझ नहीं रही, 2005 का घड़साना आंदोलन जिसने देखा वो किसानों के गुस्से की तासीर को समझ रहा है

वात करनी होगी। एक दिन पहले पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को यहां की जमीनी हकीकत बताई। तब सीएम ने सिंचाई सचिव अमय कुमार को इस पर काम करने के लिए कहा। मगर जानकार कहते हैं कि अब मामला सिंचाई सचिव के स्तर का नहीं रहा। खुद मुख्यमंत्री को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करके ही पानी लेना होगा।

परिचामी राजस्थान को अगर एक बारी पानी और नहीं मिलता तो गेहूं तो दूर सबसे कम पानी में पकने वाली सरसों और चने की फसल भी सूख जायेगी।

अगर रबी की फसल सूखी तो किसान जरूर आंदोलित होंगे। वजह ये कि खरीफ की मृगफली फसल की ही तुलाई नहीं हुई। अकेले बीकानेर के करीब 32 हजार किसानों की मृगफली की तुलाई नहीं हुई। वजह बारदाने की कमी और खरीद केन्द्रों पर हो रहा भ्रष्टाचार है। अब सिंचाई पानी नामिलने से किसानों का धैर्य अगर टूटा तो सरकार को मुश्किल हो जायेगी। भाटी परिचामी राजस्थान के जमीनी नेता हैं। उन्होंने आंदोलन की नब्ज पहचान ली और सरकार को आगाह भी कर दिया। अब सरकार पर निर्भर है कि वह पानी कैसे किसानों को मुहैया कराती है।

शादी में जा रहे युवक से लूट

नोखा। यहां एक शादी समारोह में जा रहे व्यक्ति से 6 बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीडित कानिराम जाट ने नोखा थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

जब कानिराम साई बाबा मंदिर के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 बदमाश, जिनमें मनीष दिलोहिया और संदीप बिशोई समेत 4 अन्य लोग शामिल थे, ने उनकी गाड़ी को आगे-पीछे से घेरकर रोक लिया। बदमाशों ने पहले नशे के लिए पैसे मांगे।

जब कानिराम ने देने से मना किया, तो लाठी और सिरियों से उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कानिराम की जेब से 3,000 रूपए छीन लिए और उनके गले से सोने का फूलडा भी तोड़ लिया। कानिराम के साथ मौजूद उनके भाई राकेश को भी बदमाशों ने मारने की कोशिश की।

फरार होते समय बदमाशों ने घमकी दी कि अगर आगे से पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे।

अवैध खनन करने पर 46 लाख का जुर्माना

बीकानेर, (कासं)। जिले की खाजूवाला तहसील के गांव 40 केजेडी में अवैध खनन पाये जाने पर जिला कलेक्टर ने 46 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।

असें से इस क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके बाद मामला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के पास पहुंचा तो जुर्माना लगा दिया गया। साथ ही एमडीआर एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया गया है। खाजूवाला उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि राजस्व और खनन विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दो स्थानों पर ताजा खनन के गड्डे पाए गए, जिनकी जीपीएस से लोकेशन ली गई। जांच दल द्वारा 20 हजार रूपए कंपाउंड राशि सहित कुल 46 लाख 25 हजार 740 रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

निरीक्षण के दौरान मौके पर

- खाजूवाला में अवैध खनन मामले पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

मशीनरी वाहन औजार नहीं मिले। मौके पर हुआ खनन एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4/21 के उल्लंघन के तहत पाया गया। कार्रवाई करते हुए संबंधित के विरुद्ध जुर्माना लगाकर अवैध खनन की मौका रिपोर्ट करते हुए राजस्व अधिकारी को भिजवाए गए हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सतत रूप से की जायेगी। बीकानेर के कोलायत व खाजूवाला क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। माइनिंग डिपार्टमेंट आये दिन कार्रवाई करता है। इसके बाद भी अवैध खनन रूक नहीं रहा। ऐसे में अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है।

फोन कर बुला किया जानलेवा हमला

नोखा, (कासं)। एक व्यक्ति को फोन कर बुलाकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।

पीडित बाबू सिंह राजपूत ने नोखा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि वह सोमलसर से नोखा आया था। जहां सांगू सिंह नाम के व्यक्ति ने फोन कर रिश्तेदारी का हवाला देते हुए बुलाया था। नागौर रोड स्थित महादेव होटल पर सांगू सिंह, महेंद्र सिंह कक्कू और एक अन्य व्यक्ति मिले। बातचीत के दौरान बाबू सिंह को शक हुआ और वह वहां से जाने लगे। आरोपियों ने उसे पकड़कर जबरन अपनी बोलैरो में ले जाने की कोशिश की। बाबू सिंह किसी तरह वहां से भागने में सफल रहे और अपनी गाड़ी लेकर कन्हैयालाल पेट्रोल पंप तक पहुंचे।

- हॉकी-लाठी से चोट लगने से एक आंख की रोशनी गई, मामला दर्ज

आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर बोलैरो से उनकी गाड़ी को रोका और हॉकी-लाठी से हमला कर दिया। हमले में बाबू सिंह की एक आंख पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। आरोपियों ने उनका मोबाइल भी छीन लिया। चिकित्सकों के अनुसार हमले में बाबू सिंह की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। पुलिस ने अपहरण के प्रयास और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रेप का आरोपी गिरफ्तार

नोखा, (कासं)। पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता ने 3 फरवरी को अपने माता-पिता के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि अलाय निवासी किशोर वाल्मीकि पीड़िता को बहला-फुसलाकर जोधपुर ले गया जहां उसके साथ रेप किया। आरोपी पीड़िता की अश्लील तस्वीरें बायरल करने की धमकी भी दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गुरुवार को बस्सी बास अलाय से आरोपी किशोर वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

पत्नी को मनाने गए वकील पर ससुराल में तलवार से हमला

श्रीगंगानगर, (कासं)। नाराज पत्नी को मनाने गए अधिवक्ता पर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीडित अधिवक्ता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

लालगढ़ जाटान पुलिस ने पचा बयान पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना लालगढ़ थाना क्षेत्र के चक बादल में हुई। पीडित कालिया रोड रामदेव कॉलोनी निवासी अधिवक्ता अजायब सिंह पुत्र अजमेर सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ तीन से चार माह से नाराजगी चल रही थी। परिवारिक सदस्यों ने समझौता करवाने के प्रयास किए। पीडित अपने पिता के साथ ससुराल गया तो वहां स्वयं को प्रधान बता रहे एक व्यक्ति ने पीडित पर तलवार

- ससुराल में एक व्यक्ति ने तलवार से हमला कर दिया

से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद कई महिलाओं ने उसके बाल पकड़ लिए और मारपीट की। पंडौस में रहने वाले फौजी ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। पीडित अधिवक्ता अजायब सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी पीडित के साथ ससुराल में आने को तैयार हो गई थी। लेकिन पंचायत के नाम पर एक व्यक्ति ने पहले माफ़ी मांगने मंगवाने की जिद की। इसके बाद उससे गाली गलौज की और हमला कर दिया। वहीं गंगानगर कलेक्ट्रेट के एक

कर्मचारी पर एक युवा अधिवक्ता से मारपीट का मामला सामने आया है। पीडित अधिवक्ता की ओर से कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीडित शिवम एन्क्लेव निवासी प्रेटी सिंह ने बताया कि वे बार एयूसिएशन के पंजीकृत अधिवक्ता हैं और जैम्बर नंबर बी 76 में ऑफिस है। परिवारी सांख्यिकी शाखा में जन्य प्रमाण पत्र में नाम बदलवाने के संबंध में जानकारी लेने को गया था। वहां मौजूद कर्मचारी विनोद गुप्ता ने जानकारी देने से मना कर दिया। परिवारी वहां से लौटने लगा और कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही। इससे आरोपी नाराज हो गया और ऑफिस में पड़ी स्टील की पाइप से परिवारी पर हमला कर दिया।

सार-समाचार

परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल



परिवहन निरीक्षकों और आरटीओ, डीटीओ की पेन डाउन हड़ताल से सुना पड़ा बीकानेर परिवहन कार्यालय।

बीकानेर, (कासं)। धौलपुर परिवहन विभाग के दो परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक संघ का चौथे दिन जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। हड़ताल के समर्थन में प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों के आरटीओ, ए आरटीओ, डीटीओ और मंत्रालयिक कार्मिकों ने पेन डाउन हड़ताल कर परिवहन निरीक्षकों को हड़ताल को समर्थन दिया। वहीं अनेक सरकारी गैर सरकारी संगठनों ने भी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल को समर्थन दिया। आज प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में जहां वाहन पंजीयन, फिटनेस, परमिट, टेक्स और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण काम बिल्कुल बंद रहे। वहीं बीकानेर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में परमिट, वाहन ट्रांसफर, टेक्स और चालान शाखा की लंबी कत नहीं खुली। ड्राइविंग लाइसेंस शाखा में तो पिछले चार दिन से लाइसेंस रिन्यूअल, ड्रुप्टीकेट और परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े काम ठप पड़े हैं। आज अधिकारियों और कार्मिकों को पेन डाउन हड़ताल के कारण पूरी तरह परिसर में सन्नाटा छाया रहा। उधर हर माह सात तारीख को बसों का टेक्स भरने की अंतिम तारीख होती है। लेकिन उसके लिए भी कोई विंडो खुली नहीं दिखाई दी। बस ऑपरेटर टेक्स जमा करवाने के लिए भटकते रहे। इस प्रकार परिवहन निरीक्षकों के आंदोलन के कारण पिछले चार दिनों से परिवहन विभाग को करोड़ों रूपए राजस्व का उठाना पड़ रहा है। इधर यातायात अधिकारियों में एडवोकेट हरिराम जालप, ओमप्रकाश गोदार, पी. सी. पुनिया, बनवारी लाल सांगड, अमित शर्मा और गौरीशंकर साखला ने राज्य सरकार को प्रब लिखकर परिवहन निरीक्षकों की लगातार चल रही हड़ताल का जल्द समाधान निकालने का अनुरोध किया है। एडवोकेट हनुमान शर्मा के अनुसार हड़ताल से सरकार को राजस्व नुकसान के साथ- साथ आमजन को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। अतः परिवहन निरीक्षकों की जायज मांगों को मानकर पब्लिक हित में परिवहन निरीक्षकों के आंदोलन को समाप्त करवाने की मांग की।

अवैध खनन सामग्री से भरा ट्रक जब्त



बिना ई-रवना अवैध खनन सामग्री से भरे ट्रक को एडीएम रमेश देव ने सीज कराया।

बीकानेर, (कासं)। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव द्वारा शुक्रवार को बिना ई-रवना अवैध खनन सामग्री से भरे ट्रक को जब्त करवाया गया। रमेश देव ने बताया कि शोभासर-नाल रोड पर विजिट के दौरान उन्होंने यहां से एक ट्रक गुजरते हुए देखा। जांच करते पर ट्रक के साथ ई-रवना नहीं पाया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पुलिस और खनन विभाग के सहयोग से इसे सीज करवाया। इसे नाल पुलिस थाने को सौंप दिया गया है तथा खनन विभाग द्वारा इसके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध खनन, ओवरलोड और निर्यात विरुद्ध परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

रेहाना रियाज ने की जनसुनवाई

हनुमानगढ़, (कासं)। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रयाज चिश्ती ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान कई महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखीं। जनसुनवाई में पूर्व पार्षद प्रमिला सोनी ने एक चौकाने वाला मामला सामने रखा। उन्होंने बताया कि 2 जून को उनके पति ओमप्रकाश को पुरानी रंजिश के चलते राजकुमार नामक व्यक्ति ने कार से टक्कर मारी और उन्हें बोनट पर घसीटते हुए ले गया। आरोपी अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक अन्य पीडिता संतोष ने देहज प्रताड़ना का मामला उठाया। उसने बताया कि शादी के बाद ससुराल वालों ने देहज की कमी का हवाला देकर घर से निकाल दिया। कई बार पंचायत और पुलिस में शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) क्षेत्र - 0151-2226906, फोन - 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address - nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site - www.bikanernm.org
क्रमांक / निर्माण / 2024-25 / 2367 दिनांक 05.02.2025
ई-निविदा-सूचना सं0 98/2024-25
नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यों (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अधिपत्रिका विभागों में 'एप्रे' 'रे' श्रेणी में पंजीकृत सर्वेक्षकों एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्लैमेट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanernm.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व <http://proc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
निविदा की कुल लागत 10.00 लाख
UBN Number - DLB2425WSOB16418
राज.सं.वा.4 / सी / 24 / 11322 आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

प्रपत्र संख्या/ (देखिये नियम21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन मु.नं.08/2025/166 सर्वसाधारण को सूचनायें हेतु दिनांक:-6.2.25
नोटिस समस्त संबंधित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
शुक्ति श्री सुरेन्द्र कुमार नागल पुत्र श्री भामल नागल, डागा गेट हाउस के पीछे, बीकानेर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत उम्मेदवी भूमिगत नाल मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, बीकानेर प्रयास के संबंध में जांच किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है। एम्प्लय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त, जिसको जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम ब्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रयास के संबंध में आपत्ति यदि कोई हो, प्रस्तुत करें और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त आर्थिक के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निष्कर्ष किया जायेगा तथा जांच प्रसिप्त मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा। आज दिनांक 05.02.2025 को भीतर से हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया प्रपत्र की सुनवाई दिनांक 07.04.2025 निश्चित है।
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर

प्रपत्र संख्या/ (देखिये नियम21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन मु.नं.09/2025/155 सर्वसाधारण को सूचनायें हेतु दिनांक:-6.2.25
नोटिस समस्त संबंधित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
शुक्ति श्री कन्हैयालाल गण्डे पुत्र श्री गोविन्दलाल निवासी संकृत कलेज रोड गैंगुल के पास रानी बाजार, बीकानेर राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत डॉ.हेडगेकर स्मृति सेवा प्रयास बीकानेर प्रयास के संबंध में जांच किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है। एम्प्लय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त, जिसको जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम ब्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रयास के संबंध में आपत्ति यदि कोई हो, प्रस्तुत करें और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त आर्थिक के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निष्कर्ष किया जायेगा तथा जांच प्रसिप्त मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा। आज दिनांक 05.02.2025 को भीतर से हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया प्रपत्र की सुनवाई दिनांक 07.04.2025 निश्चित है।
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर